संख्या– 3894/8–3–10–3विविध/2010 टी.सी

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0 प्र0।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण,उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक : 10 सितम्बर, 2010

विषयः– शासन की अनुमति के बगैर भारत सरकार से पत्राचार न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विकास प्राधिकरण/परिषद/अभिकरणों द्वारा भारत सरकार के विभिन्न विभागों से सीधे पत्राचार किया जा रहा है। उक्त प्रकिया न तो नियमानुसार है और न ही स्वस्थ परम्परा का अंग है। प्राधिकरणों/अभिकरणों द्वारा सीधे भारत सरकार से पत्राचार किये जाने से उसकी जानकारी राज्य सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को न होने के कारण कतिपय अवसरों पर राज्य सरकार के समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और राज्य सरकार द्वारा अपना मत स्थिर किये जाने की कठिनाई होती है।

2– अतःइस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के प्रशासकीय विभाग से पूर्व अनुमति के बगैर किसी भी विकास प्राधिकरण/परिषद/अभिकरणों द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित किसी भी मामले में भारत सरकार से सीधे पत्राचार न किया जाय। यदि किसी बिन्दु पर भारत सरकार से पत्राचार किया जाना हो तो उसकी विषयवस्तु शासन को प्रेषित किये जायं तथा शासन द्वारा परीक्षणोपरांत उचित पाये जाने पर सम्बन्धित मामले में भारत सरकार से पत्राचार किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ0प्र0।
2. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, जनपथ–लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश की प्रति समस्त सर्वसंबंधितों को उपलब्ध कराते हुए इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिह)
विशेष सचिव।